कार्यालयः— जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0, सीतापुर।

पत्रांकः— C-2-15 जि0का0अ0 / पो0 एवं स्वा0 / 2020—21 / दिनांकः— 11 जून, 2021

समस्त

बाल विकास परियोजना अधिकारी / प्रभारी,

जनपद— सीतापुर।

विषय— अनुपूरक पुष्टाहार योजना (एस0एन0पी0) के अन्तर्गत माह अप्रैल 2021, मई 2021 एवं जून 2021 हेतु टी0एच0आर0 के वितरण के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्र सं0 सी—145 / बा0वि0परि0 / पो0 एवं स्वा0 / 2021—22 दिनांक 03 जून, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रथम त्रैमास के माह अप्रैल 2021, मई 2021 एवं जून 2021 हेतु अनुपूरक पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत टी.एच.आर. वितरण के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश निर्गत किये जाते है:—

1. माह अप्रैल 2021, मई 2021 एवं जून 2021 में प्रथम त्रैमास हेतु जनपद में निर्धारित आवंटन के अनुसार लाभार्थियों का सत्यापन कर वास्तविक लाभार्थियों को वितरित किया जायेगा।
2. माह अप्रैल 2021, मई 2021 एवं जून 2021 हेतु लाभार्थीवार प्रतिमाह वितरण किये जाने वाले टी.एच.आर. की मात्रा निम्नवत् है:—

लाभार्थी विवरण	ड्राई राशन			
	गेहूँ	चावल	चना दाल	रिफाइन्ड (सोयाबीन)
06 माह से 03 वर्ष बच्चें	1.0 किग्रा0	1.0 किग्रा0	1.0 किग्रा0	0.455 किग्रा0
03 वर्ष से 06 वर्ष बच्चें	500 ग्राम	500 ग्राम	500 ग्राम	0.000
गर्भवती एवं धात्री	1.5 किग्रा0	1.0 किग्रा0	1.0 किग्रा0	0.455 किग्रा0
06 माह से 06 वर्ष कुपोषित बच्चें	1.5 किग्रा0	1.5 किग्रा0	2.0 किग्रा0	0.455 किग्रा0

3. ग्रामीण क्षेत्रों में नैफेड द्वारा निर्धारित पैकेजिंग में चना दाल एवं रिफाइन्ड फोर्टिफाइड (सोयाबीन) खाद्य तेल की आपूर्ति सीधे परियोजना कार्यालय पर की जायेगी। परियोजना कार्यालय में एस0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह सामग्री का शीघ्र उठान करते हुए वितरण हेतु ऑगनबाडी कार्यकत्री को प्राप्त कराएगें।
4. शहरी क्षेत्रों में नैफैड द्वारा फोर्टिफाइड गेहूँ दलिया, चना दाल एवं रिफाइड फोर्टिफाइड (सोयाबीन) खाद्य तेल की आपूर्ति निर्धारित पैकेजिंग में सीधे ऑगनबाडी केन्द्र तक की जायेगी।
5. ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थियों को चावल एवं गेहूँ तथा शहरी क्षेत्र में केवल चावल का वितरण कोटेदार से लाभार्थियों को किया जाय। जिसके लिये सम्बन्धित ऑगनबाडी कार्यकत्री द्वारा पंजीकृत लाभार्थियों को निम्न विवरण का टोकन हस्ताक्षर युक्त दिया जायेगा। जो निम्नवत् है—

लाभार्थी का नाम	अभिभावक का नाम	गेहूँ की मात्रा	चावल की मात्रा	तिथि एवं समय

आंगनवाडी कार्यकर्त्री द्वारा अपने समक्ष उसका वितरण करवाया जाना है तथा आंगनवाडी कार्यकर्त्री वितरण के समय लाभार्थियों / अभिभावकों के हस्ताक्षर केन्द्र की वितरण पंजिका में अंकित कराते हुए समस्त अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखेगी। आंगनवाडी कार्यकर्त्री द्वारा वितरण की तिथि एवं समय की सूचना स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दी जायेगी और वितरण के समय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी आमंत्रित किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

6. वितरण से पूर्व लाभार्थियों का सत्यापन सुनिश्चित कर लिया जाय तथा सभी लाभार्थियों के सत्यापन के उपरान्त ही वास्तविक लाभार्थियों को वितरण सुनिश्चित किया जाये। पूर्व माहों का खाद्यान्न यदि अवशेष रह गया है तो उसका समायोजन करते हुऐ वितरण किया जाये।
7. वर्तमान में कोविड–19 की द्वितीय लहर के कारण अभी ऑगनबाडी केन्द्र बन्द है तथा पूर्व में निर्गत निर्देश के अनुसार लाभार्थियों को डोर–टू–डोर अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण किया जायेगा।
8. प्रत्येक ऑगनबाडी केन्द्रवार वितरण की सूचना पोषण ट्रैकर पर अवश्यक फीड की जाये।
9. नैफेड द्वारा उपलब्ध करायी गयी सामग्री के चालान को परियोजना कार्यालय पर सामग्री प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर स्टाक इन्ट्री करते हुए भुगतान की संस्तुति सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा।
10. बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय गोंदाम में आपूर्ति के सापेक्ष आपूर्तित मात्रा के वितरण की रिपोर्ट जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें तथा वितरण की मात्रा का प्रमाण–पत्र वितरण समाप्ति के पश्चात् प्रत्येक माह अनिवार्य उपलब्ध करायें।
11. एस0ओ0पी0 के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर गठित समिति यथा–ग्राम निगरानी समिति, ब्लाक निगरानी समिति तथा जिला निगरानी समिति द्वारा टी0एच0आर0 की आपूर्ति, वितरण की सघन निगरानी एवं प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये।
12. जहॉ पर सम्बन्धित एस0एच0जी0 उठान करने से मना/विलम्ब करती है, वहॉ पर इस समस्या को लिखित रूप से जिला कार्यक्रम अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के संज्ञान में लाया जाये जिससे समस्या का विधि सम्मत निदान कराया जा सके।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक–यथोक्त।

(राजकपूर)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
सीतापुर।

पृष्ठांकनः– /तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ।
2– निदेशक, राज्य पोषण मिशन, लखनऊ।
3– मिशन निदेशक, राज्य पोषण मिशन, लखनऊ।
4– जिलाधिकारी महोदय, सीतापुर।
5– मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।
6– उपायुक्त स्वतः रोजगार, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, सीतापुर।
7– शाखा प्रबन्धक, भारतीय कृषि सहकारी संघ मर्यादित (नेफैड), सीतापुर रोड, लखनऊ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
सीतापुर।

Scanned with CamScanner